(छ)	मतगणना के लिए दिनांक	28-05-2008	बुधवार
(ज)	सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा	28-05-2008	बुधवार

(आ) 7.00 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह का समय नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट दिनांक को मतदान होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा, अवर सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2008

क्रमांक 208/तक. विधान/टीसी/08.—छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988), (जो इसमें इसके पश्चात् मोटरयान अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन स्वीकृत पर्यटक परमिट के अन्तर्गत आने वाले तथा के अधीन संचालित, लोक सेवा वाहनों की बैठक क्षमता छः से कम तथा पैंतीस से अधिक न हो, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन देय कर के भुगतान से तत्काल प्रभाव से दिनांक 31-03-2016 तक नीचे दिये गए अनुसूची में कॉलम नं. (1) एवं (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

स. क्र. (1)	मोटरयान का वर्ग (2)	कर में छूट की सीमा (3)
1.	मोटरयान अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रदत्त किए गए पर्यटक परमिट के अंतर्गत आने वाले पर्यटक वाहन—	
	(क) छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटक मण्डल के स्वामित्व अथवा ऐसे उपयोग के लिए इसके द्वारा पैकेज टूर हेतु अनुबंधित पर्यटक वाहन—	दर का 50 प्रतिशत
	(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लेखित से भिन्न पर्यटक वाहन—	दर का 25 प्रतिशत
2.	मोटरयान अधिनियम की धारा 88 की उपधारा 9 के अधीन अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए पर्यटक परमिट के अंतर्गत आने वाले पर्यटक वाहन तथा जो निम्नानुसार कालावधि के लिए अस्थायी तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य में चलाए जा रहे हैं :—	
	(क) तीन दिवस तक अस्थायी उपयोग	
	(एक) अति पिछड़े तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र—	दर का 75 प्रतिशत
	(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लेखित क्षेत्र से भिन्न सामान्य क्षेत्र—	दर का 50 प्रतिशत
	(ख) छः दिवस तक अस्थायी उपयोग—	
	(एक) अति पिछड़े तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र—	दर का 75 प्रतिशत
	(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लेखित क्षेत्र से भिन्न सामान्य क्षेत्र—	दर का 50 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)
(ग)	छ: दिवस से अधिक अस्थायी उपयोग —	
	(एक) अति पिछड़े तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र—	दर का 75 [illegible]
	(दो) उपर्युक्त [illegible] में उल्लेखित क्षेत्र से भिन्न सामान्य क्षेत्र—	दर का 50 [illegible]

टीप :— अभिव्यक्ति "अति पिछड़े एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व [illegible] छत्तीसगढ़ राज्य, राजस्व विभाग द्वारा [illegible] ग्राम क्षेत्र.

शर्तें :—

(1) अखिल भारतीय पर्यटक परमिट का [illegible] इस अधिसूचना के अधीन लाभ तब प्राप्त करेगा, जब इसका पंजीयन [illegible] विभाग से कराया हो.

(2) टूरिस्ट आपरेटर द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 14 के अंतर्गत कर मुक्ति हेतु [illegible] उसने ऊपर दी गई टीप में उल्लेखित क्षेत्र में टूरिस्ट वाहन के संचालन दिवसों का प्रमाण-पत्र पर्यटन विभाग से प्राप्त कर [illegible] के समक्ष प्रस्तुत किया हो.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

No. 208/Tak. Vidhan/TC/08.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 [illegible] Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) the State Government hereby exempts [illegible] payment of tax leviable under section 3 of the said act, to all public service vehicles having seating capacity [illegible] than six and not more than thirty [illegible] subject to following conditions with immediate effect [illegible] covered by and operating under tourist permit granted under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicle [illegible] 1988 (No. 59 of 1988) (hereinafter referred as Motor Vehicle Act) as specified in column Number (1) and (2) in the schedule below :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of Motor Vehicle (2)	Extent of Tax Exemption (3)
1.	Tourist Vehicle covered with tourist permit issued under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicle Act granted in the State of Chhattisgarh to :—	
	(a) tourist vehicle owned by Chhattisgarh State Tourism Board or contracted for packged tour by it for use as such.	50 percent of the rate
	(b) tourist vehicle other than mentioned in (a) above.	25 percent of the rate
2.	Tourist Vehicle covered with tourist permit issued under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicle Act granted by other state and plying in Chhattisgarh State on temporary basis for the period as under :—	
	(a) temporary use upto three days —	
	(i) in the most backward and scheduled tribe dominated area.	75 percent of the rate
	(ii) general area other than area mentioned in (i) above	50 percent of the rate

(1)	(2)		(3)
(b)	temporary use upto six days --		
	(i)	in the most backward and scheduled tribe dominated area.	75 percent of the rate
	(ii)	general area other than area mentioned in (i) above	50 percent of the rate
(c)	temporary use more than six days --		
	(i)	in the most backward and scheduled tribe dominated area.	75 percent of the rate
	(ii)	general area other than area mentioned in (i) above	50 percent of the rate

Note :— The expression "most backward and scheduled tribe dominated area" means the area recognized as such by Chhattisgarh State Revenue Department under C. G. Land Revenue Code 1959.

Conditions :—

(1) The holder of All India Tourist Permit shall avail benefit under this Notification only when it in registered with the Tourism Department of Home State.

(2) Refund of tax shall be claimed by the Tourist Operator under section 14 of the Act, on submission of a certificate regarding days of operation of Tourist Vehicle in the area specified in note aforesaid from the Chhattisgarh State Tourism Department to the tax officer.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2008

क्रमांक 209/तक. विधान/टीसी/08.—छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की प्रथम अनुसूची के मद-चार के उप मद (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित शहर/नगर के पार्श्वस्थ क्षेत्र हेतु नगर मार्गों के प्रयोजनों के लिए उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित निम्नलिखित स्थानों को अधिसूचित करती है :—

सारणी

स. क्र	शहर/नगर	पार्श्वस्थ स्थान/क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
[illegible]	बिलासपुर	बिलासपुर से सीपत (एन. टी. पी. सी.)
		बिलासपुर से सिरगिट्टी
		बिलासपुर से मस्तुरी
		बिलासपुर से [illegible]

No. 209/Tak. Vidhan/TC/08.—In exercise of the powers conferred by sub-item (c) of item iv of first schedule of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, notified the following places mentioned in column (3) of the table below as the adjacent areas to the City/Town as mentioned in column (2) of the said table for the purpose of City Routes :—

TABLE

S. No. (1)	City/Town (2)	Adjacent places/Areas (3)
1.	Bilaspur	1. Bilaspur to Sipat (N. T. P. C.) 2. Bilaspur to Sirgitti 3. Bilaspur to Masturi 4. Bilaspur to Tala

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्रमांक-क/भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	सिवनी	2.235	कार्यपालन अभियन्ता, (निर्माण), द. पू. म. रेल्वे, बिलासपुर.	प्रस्तावित चांपा कोरबा रेल्वे लाईन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सु कुमार [illegible], कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.